न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अपील प्रकरण संख्या :– 439/2013

1. कश्मीरा देवी पुत्री लौगुराम पत्नी देवराज पुत्र हरीराम जाति चौधरी निवासी जिकलेरा तहसील देहरा जिला कागड़ा (हिमाचल प्रदेश)
2. इच्छा देवी पुत्री लौगुराम पत्नी देवराज पुत्र खैरातीलाल जाति चौधरी गांव फारिया तहसील ज्वाली (हिमाचल प्रदेश)

– अपीलांटस

बनाम

1 रक्षादेवी पुत्री लौगुराम पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति चौधरी निवासी गांव छबड़ा, इन्द्रा कॉलोनी, मु. पोस्ट हरीपुर तहसील देहरा गोपीपुर जिला कागड़ा (हिमाचल प्रदेश) हाल चक 6 एसटीबी 'बी' तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर बहैसियत प्रतिनिधी भू– धारक।

– रेस्पोडेन्टस

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 02.12.2020

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री बाबूलाल चाड़क अधिवक्ता अपीलाटंगण
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट न. 1
3. पैरोकार राजतहसीलदार श्रीविजयनगर

1. अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनाद 20.02.2006 जिसकी रूह से चक 6 एसटीबी 'बी' के पत्थर न. 214/370 के 6.200 हैक. कमाण्ड मयखाला भूमि का नामांन्तरण गिलोदेवी से रक्षादेवी के नाम अकिंत करने के आदेश दिये व इसके परिणाम स्वरूप इस चक में इन्तकाल न. 156 दिनाक 20.02.2006 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ, के विरूद्व यह अपील पेश की है।
2. अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण मृतक गिलोदेवी के कानूनी वारिस है उन्हे सुना नही है व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नही दिया है यधपि यह भूमि गिलोदेवी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अकिंत थी किन्तु यह भूमि परिवार की सम्पति थी। इस भूमि की किश्ते आदि साझा पैसे से जमा करवाई थी वर्ष 2005 में हिन्दु उतराधिकार में पुत्रियो को भी बराबर हिस्सा दे दिया है तथा हिन्दु खानदान मुस्क. की वसीयत नही की जा सकती। द्वितीय इस बात की जांच वसीयत के आदेश से पूर्व नही की गई कि वसीयतकर्ता वसीयत करते समय दवाब मे था या नही वसीयत के तथ्य वसीयतकर्ता के ज्ञान में थे या नही थे इस बात कि जानकारी के बाबत कोई जांच नही की है। आवटन के समय गिलोदेवी के अपीलांटगण नाबालिक थे एंव अपीलाट की माता परिवार की कर्ता थी। इसलिये उसके नाम से आवंटन था जो संयुक्त परिवार की परिभाषा में आता है। स्व. गिलोदेवी के अपीलांटगण व रेस्पोडेंट न. 1 के कुल 3 जायज वारिस है। जिनके नामान्तंरण अपील धीन भूमि होना उचित था परन्तु अपीलाटगण की व्यक्तिगत तामिल ना करवाकर SUBSTITUTED तामिल करवाई है जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कतई कानून अनुसार नही है। सामाचार पत्रो में प्रकाशन भी सही नही है तथा कातिब के व गवाहो के वसीयत की सत्यता के बावत ब्यान नही करवाये इस आदेश की जानकारी अपीलाटगण को दिनाक 16.05.2013 को होने पर दिनाक 17.05.2013 को इन्तकाल की नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी पर अपील पेश कर दी है अपीलांटगण हितबद्व पक्षकार है इसलिये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्डक व रेस्पोडेंट संख्या अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा तथा पैरोकार राज हाजिर हुए। अपील के दौरान इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 439/2013 अनवान कश्मीरा देवी आदि बनाम रक्षा देवी आदि में पारित आदेश दिनांक 06.06.2013 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी न. 2183/14 प्रस्तुत हुई तथा निगरानी खारिज होने के उपरान्त यह पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में अपील मीमो व लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा गिलोदेवी – कश्मीरादेवी – रक्षादेवी – इच्छा देवी के पक्ष में डिप्टी कमिश्नर ही सैटलमेन्ट रिहेबलिटेशन व्यास प्रोजेक्ट तलवाड़ा ने दिनांक 22.06.1973 को फार्म न. 11 नियम 5 (2) में एक सर्टिफिकेट जारी किया था व एक नोटिस क्रमांक 2888 दिनांक 22.06.1973 को इन चारो के नाम से जारी हुआ है। दिनांक 15.07.1973 को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा पत्र जारी हुआ था। राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज चारो आवंटियो के नाम से जारी होना चाहिये था परन्तु हल्का पटवारी की भूल से अपीलांटगण के नाम अकिंत नही हुआ अपीलांटगण के मूल हको को इस प्रकार से नष्ट नही किया जा सकता। राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सरकारी कर्मचारियो द्वारा किया गया था उनकी भूल अथवा गलती से अपीलांटगण का नाम आवंटन के इन्द्राज से कलमजन किसी भी प्रकार से नही किया सकता। गिलोदेवी ने अपने नाम से जो खातेदारी ली है वो तहसील कर्मचारियो से मिलीभगत करके मूल आवंटन आदेश में अकिंत शेष तीन आवटीयो के नाम छिपाते हुये प्राप्त की है। वॉइड खातेदारी से अपीलांटगण के हित नष्ट नही किये जा सकते यह वसीयत मूलतय अवैध वसीयत है गिलोदेवी का इस रकबा में 1/4 हिस्सा बनता था हिस्से से अधिक रकबा की वसीयत करने का उसे अधिकार नही था अपीलाटगण के हिस्से की भूमि को गिलोदेवी को किसी अन्य को देने का अधिकार नही था ऐसी वसीयत से किसी भी वैध आलोटी के मूल अधिकार व हक नष्ट नही किये जा सकते ऐसी अवैध वसीयत दस्तावेज न्यायालय में अपीलांटगण के हितो पर निष्प्रभावी माने जाने योग्य है। माननीय राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन न. एफ8 (185 रेवन्यू/बी/57 दिनाक 11.09.1997) के द्वारा धारा 260 (बी) राजस्थान एक्ट न. 15 ऑफ 1956 के द्वारा धारा 260 (बी) राजस्थान एक्ट न. 15 ऑफ 1956 के द्वारा व नोटिफिकेशन सख्या एफ1 (236 रेवन्यू/डी/56 दिनाक 27.11.1956) से ग्राम पचायंत को इन्तकाल के समय जहा जहा ग्राम पचांयत का वहां ग्राम पचांयत द्वारा ही इन्तकाल प्रमाणित होगा परन्तु तहसीलदार इस कानूनी विन्दु को नजर अदांज करके उक्त आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया की खारिज येाग्य है। अपीलांटगण ने न्यायिक दृष्टांत RRD 1975 पेज 666, RRD 1958 पेज 89, RRD 1996 पेज 457, RBJ 2008 पेज 761, RRT 2013 (1) पेज 436, RBJ 2006 पेज 198, DNJ (SC) 2017 पेज 928, RRD 2002 पेज 284, RRT 2009 पेज 685, RRD 2015 पेज 389, RRT 2016 (2) पेज 1482, DNJ 2015 (4) RAJASTHAN पेज 1484 की ओर ध्यान दिलाया व अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की तथा दौराने बहस जवाब मियाद प्रार्थना के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि यह रकबा उतरव.दीया की माता के नाम से पुख्ता आवटन दिनाक 22.06.1973 को हुआ जिसके खातेदारी अधिकार दिनाक 15.09.1994 को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

मृतक गिलोदेवी के नाम से जारी हुये तथा गिलोदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनाक 18.05.2005 को रजिस्ट्रर्ड वसीयत करवाई है गिलोदेवी के मरने के बाद दिनाक 20.02.2006 को यह जैरअपील आदेश पारित हुआ है। जिसके विरूद्व 7 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत हुई है इस रकबा पर कब्जा मृतक गिलोदेवी के जीवनकाल में ही उतरवादीया न. 1 कश्मीरादेवी का व गिलोदेवी की मृत्यू दिनाक 10.09.2005 को होने के बाद मजमेआम में राजस्व कैम्प के दौरान यह इन्तकाल रक्षादेवी के नाम दर्ज हुआ इस वसीयत की व वसीयत के इन्तकाल की अपीलाटगण को पुरी – पुरी जानकारी थी। अपीलाटगण अपने आप को 1/4, 1/4 हिस्सा की काश्तकार बता रही है एक काश्तकार तो अपने खेत भी आता जाता है रकम मामला भी भरता है उतरवादीया के नाम इन्तकाल दिनाक 20.06.2006 को हुआ जिसकी जानकारी अपीलांटगण को पूर्णतया थी 7 वर्ष बाद यह अपील पेश की है न्यायिक दृष्टांत RRD 2002 पेज 26, RLW 2004 (RJ) पेज 705, RRD 2008 पेज 817, RRD 2009 पेज 661, RRT 2002 पेज 33, RRT 2010 (2) पेज 801, RRT 2015 (1) पेज 232, RRT 2015 (2) पेज 1089 की ओर ध्यान दिलाकर प्रस्तुत की अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज करने का निवेदन किया तथा अपील को मैरिट पर भी खारिज करने का निवेदन किया। दौराने बहस निवेदन किया यह रकबा गिलोदेवी को दिनाक 22.06. 1973 से पुख्ता आवटन है इस रकबा के खातेदारी अधिकार दिनांक 15.09.1994 को गिलोदेवी के नाम से जारी हुये है तमाम रकबा की किश्ते गिलोदेवी ने जमा करवाई थी आवंटन गिलोदेवी अकेली को था राजस्व रिकॉर्ड में यह रकबा गिलोदेवी के नाम से ही दर्ज चला आ रहा था गिलोदेवी के आवटन के विरूद्व अपीलाटगण ने कोई अपील पेश नही की है। खातेदारी अधिकार के विरूद्व भी कोई अपील पेश नही हुई है इस रकबा की वसीयत करने का अधिकार गिलोदेवी को था गिलोदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनाक 18.05.2005 को उप – पजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर यह रजिस्ट्रर्ड वसीयत करवाई है वसीयत आज भी प्रभावी है वसीयत निरस्त करवाये बगैर अपीलांट ना तो घोषणात्मक दावा कर सकते व ना ही दावा पेश कर सकते रजिस्ट्रर्ड वसीयत किसी भी न्यायालय ने निरस्त नही की है। तहसीलदार श्रीविजयनगर ने दिनाक 20.06.2006 का निर्णय पारित कर इन्तकाल तस्दीक किया है इन्तकाल से अधिकार तय नही होते है अपीलांटगण ने उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीविजयनगर के समक्ष दावा न. 227/14 कश्मीरादेवी बनाम रक्षादेवी पेश कर रखा है जो आज भी जैरकार है दावा में हक तय हो जायेगे। कानुनी नजीर RRT 2003 पेज न. 650, RLW 2005 (2) पेज न. 64, RRT 2009 (2) पेज 816 व RRT 2010 पेज 392 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि जब दावा चल रहा हो तो अधिकार दावा में तय होते है। इसके अलावा उतरवादीगण ने बहस मे यह भी निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 20.06.2006 को होने के बाद अपीलांटगण ने तहसीलदार के सीगेदार से या अन्य कर्मचारी से साठगाठं करके दिनाक 20.06.2006 के स्थान पर दिनाक 29.02.2006 ऑवर राईटिग करवाई है इसलिए अपीलाटगण की अपील खारिज करने के साथ – साथ तहसीलदार श्रीविजयनगर पत्रावली में अपीलाटगण द्वारा दिनाक 25.01.2006 की पेशी को निर्धारित दिनाक 20.02.2006 को फैसले के बाद में ऑवर राईटिग करके दिनाक 29.02.2006 करवाने का रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। अपीलांटगण सही नियत से इस न्यायालय में नही आये है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में बहस सुनी जाने के बाद पत्रावली वास्ते निर्णय रखी गई परन्तु निर्णय से पूर्व प्रार्थी राधेश्याम पुत्र कृष्णकुमार जाति बिश्नोई साकिन 6 एसटीबी 'बी' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 11.11.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उसने रक्षा देवी से उसके नाम का जैर प्रकरण रकबा दिनांक 15.04.2013 को जरिये इकरारनामा खरीद लिया है व इस इकरारनामा के आधार पर रक्षा देवी के खिलाफ अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर में इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा न. 17/20 ब अनवान राधेश्याम बनाम रक्षादेवी

अति. जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

जैरकार है तथा इस प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 01 को इस प्रकरण में दावा के साथ स्थगन प्रार्थना संख्या 26/20 जैरकार है जिसमे रक्षा देवी के खिलाफ उक्त रकबा के उपयोग उपभोग धारण में व किसी अन्य को हस्तांतरण करने व बाज व मनून रहने व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन भी दिनांक 05.11.2020 को जारी है, इसलिए प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे। जिसका जवाब अपीलांट ने पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी इस इंतकाल की अपील में हितबद्व नहीं है, इकरारनामा के आधार पर इस अपील में प्रार्थी पक्षकार नहीं बन सकता। इस अपील में तो इतना तय होना है कि रकबा का इंतकाल रक्षादेवी के नाम दर्ज रहेगा या मृतक गिलो के सभी वारिसो के नाम दर्ज होगा व सिविल कोर्ट का स्थगन केवल यह अपील पहले से सन 2013 से जैरकार है तथा प्रार्थी राधेश्याम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी श्रीविजयनगर में जैरकार वाद में अधिवक्ता भी सन 2014 से है। अत. इस अपील के निर्णय की स्टेज पर प्रार्थी पक्षकार नहीं बन सकता। न्यायिक दृष्टांत RLW 1973 (2) पेज 566 (H.C.), RRT 2006-07 पेज 155, RRT 2006-07 पेज 676 की ओर ध्यान दिलाया ।

7. प्रार्थी राधेश्याम पुत्र कृष्ण कुमार को प्रकरण मे पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। चूंकि प्रार्थी रक्षादेवी द्वारा निष्पादित इकरारनामा के आधार पर इस प्रकरण में पक्षकार बनना चाहता है उसका दावा इकरारनामा की अनुपालना मे केवल रक्षादेवी के खिलाफ है। यह अपील इंतकाल न. 156 दिनांक 20.02.2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। माननीय सिविल न्यायालय का स्थगन केवल रक्षादेवी के खिलाफ है यह स्थगन अपील के निर्णय को ना तो प्रभावित करता व प्रार्थी के हक इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय ही तय करेगा। इस प्रकरण मे प्रार्थी हितबद्व नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. उभय पक्ष की आज पुनः मजीद बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जहां तक मियाद का प्रश्न है यह अपील मियाद बाहर है परन्तु न्यायहित में इस अपील का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझता हूँ। अपील में वर्णित आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर ने विशेष राजस्व अभियान शिविर 2006 को मजमेआम में वसीयत की सुनवाई करके आदेश पारित किये है। राजस्व शिविर मे इन्तकाल के अधिकार ग्राम पचांयत की बजाय तहसीलदार के पास ही होते है। इसलिये अपीलांटगण का यह कहना कि तहसीलदार का मजमेआम में सुनवाई का अधिकार नही है, के तथ्य कतई उचित नही है। तहसीलदार श्रीविजयनगर ने मृतक गिलोदेवी द्वारा रजिस्ट्र्ड वसीयत दिनांक 18.05.2005 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है, यह वसीयत किसी भी न्यायालय ने निरस्त कर दी हो, के बाबत अपीलाटगण ने कोई तथ्य पेश नही किये है उप – पजीयक श्रीविजयनगर के समक्ष गिलोदेवी ने अपने जीवनकाल मे वसीयत को पजीयन करवाई है आज भी प्रभावी है राजस्व रिकॉर्ड में मृतक गिलोदेवी के नाम रकबा आवटन आदेश की पालना में दर्ज हुआ है खातेदारी अधिकार गिलोदेवी अकेली के नाम से जारी हुये। गिलोदेवी के आवटन के विरूद्व या खातेदारी अधिकारो के विरूद्व अपीलाटगण ने कोई अपील पेश की हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। इस रकबा के बाबत घोषणात्मक वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष जैरकार होना दोनो पक्षकार स्वीकार कर रहे है। उतरवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर RLW 2005 (2) पेज 64 में वर्णित कानूनी नजीर DNJ 2003 (3) (RAJ.) पेज 1143 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

Thus in view of the above law of the subject can be summarized can be summarized that fiscal entries like mutation like mutation do not represent or create any title or interest in the property nor the complicated issue of succession, rather by eay of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriate forum for adjudication of title. "

अशोक ... कलक्टर
अतिरिक्त ... (भू अभिलेख)
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें केसी भी व्यक्ति के राईट टाईटल का निर्णय नही किया जाता है। वसीयत असली है या नही, यह जांच का विषय है जिसे नामान्तकरण के दौरान नही देखा जा सकता। नामान्तकरण पदाधिकारी, नामान्तरण के विषय में केवल सरसरी रूप से जांच करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2003 (1) आरआरटी पेज 647 में यह भी निर्धारित किया है :–

" It is relevant to mention here that entire exercise in this matter is outcome of mutation proceedings by which the only entries in revenue records are made, admittedly, this is fiscal proceedings. There appears no justification to make changes in revenue record during the pendency of suit, where only rights of the parties can be decision of the competent court in suit. "

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरआरटी 2003 (1) पेज 650 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

" rajasthanland revenue act, 1956 – sec. 135 – mutation proceedings – fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties haveto approach the appropriate forum for adjudication of title. "

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 (6) एससीसी पेज 223 में नामान्तंरण के सम्बध में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

"mutation of a property in the revenue record does not create or extinguish title, nor has it any presumptive value of title. In only enables the person, in whose favour thr mutation is entered, to pay the land revenue in question. "

RRT 2009 (2) पेज 816 व RRD 2010 पेज 392 में भी " NO RIGHTS CAN BE ADJUDICATED IN MUTATION PROCEEDINGS " का उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों अनुसार इन्तकाल की कार्यवाही फिसकल प्रोसेडिग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राइट टाईटल का निर्णय नही किया जा सकता तथा मै तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20.06.2006 में कोई कानूनी त्रुटि नही मानता हूँ।

अतः अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर दिनाक 20.02.2006 में कोई विधिक त्रुटि ना होने से यथावत् रखा जाता है एवं अपील अपीलांटगण खारिज की जाती है तथा इस निर्णय का न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी श्रीविजयनगर में लम्बित वाद संख्या 227/14 अनवान कश्मीरा देवी बनाम रक्षा देवी के निर्णय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/12/20

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner